

चंद्र भान सिंह

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

(सिविल अपील सं. 12314 सन् 2024)

23 मई 2025

[न्यायमूर्ति अभय एस. ओक और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह]

विचारणीय मुद्दा

अपीलकर्ताओं को जारी किए गए डिमाण्ड नोटिस को चुनौती, जिसमें कुल बोली राशि का 10% संबंधित जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) के पास जमा करने की मांग की गई है।

हेडनोट्स

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 – धारा 9बी, 14, 15, 15 ए – उत्तर प्रदेश लघु खनिज (रियायत) नियमावली, 1963 – नियम 21, 23(3), 54, 68 – जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली, 2017 – नियम 10(2) – अपीलकर्ता लघु खनिज यानी रेत के खनन के लिए एक सफल बोलीदाता था और उसे एक निविदा आवंटित की गई थी – अपीलकर्ता को डीएमएफ के पास जमा की गई स्वामित्व राशि का 10% जमा करने के लिए डिमाण्ड नोटिस जारी किया गया था – अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष डिमाण्ड नोटिस को चुनौती दी थी जिसमें दावा की गई राशि धारा 9बी, अधिनियम, 1957 के विपरीत थी – चुनौती खारिज कर दी गई – पोषणीयता:

धारित किया गया: धारा 9बी, अधिनियम, 1957 इसकी धारा 14 के प्रकाश में लागू नहीं होगी – धारा 14 यह स्पष्ट करती है कि अधिनियम, 1957 की धारा 5 से 13 वर्तमान मामले पर लागू नहीं होगी क्योंकि जिस खनिज का खनन किया जाना है वह एक लघु खनिज है अर्थात् रेत – धारा 9बी(5) पर आधारित अपीलकर्ता की दलील गलत है – राज्य सरकार को धारा 15 ए के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

तहत राशि निर्धारित करने और तय करने का अधिकार दिया गया है - राज्य को लघु खनिजों के लिए राशि निर्धारित करने और उसके निर्धारण के लिए कानून के तहत दी गई शक्ति में कोई त्रुटि नहीं है - अपीलकर्ता को जारी किया गया डिमांड नोटिस जिसमें उसे स्वामित्व राशि का 10% जमा करने की आवश्यकता होती है, यानी निकाले जाने वाले लघु खनिजों के लिए देय कुल राशि वैधानिक नियमों के तहत और उसके अनुसार थी, अर्थात् नियम 10(2), नियमावली, 2017 - डिमांड नोटिस और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय को बरकरार रखा गया है, जिसमें डीएमएफ ट्रस्ट के प्रति अपीलकर्ता की देयता निहित है। [पैरा 17, 18, 20, 21, 24, 26]

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 - उत्तर प्रदेश लघु खनिज (रियायत) नियमावली, 1963 - नियम 68, 21, 23(3), 54 - जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली, 2017 - अपीलकर्ता लघु खनिजों यानी रेत के खनन के लिए एक सफल बोलीदाता था और उसे निविदा आवंटित की गई थी - आवंटित निविदा के अनुसरण में और 22.04.2017 के नीतिगत निर्णय की आवश्यकताओं के अनुरूप, अपीलकर्ता को डीएमएफ के साथ जमा की गई स्वामित्व राशि का 10% राशि जमा करने के लिए डिमांड नोटिस जारी किया गया था - अपीलकर्ता की दलील है कि नीतिगत निर्णय स्वयं में पोषणीय नहीं है क्योंकि नियम 68, नियमावली, 1963 के अनुसार इसे जारी करने की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था:

धारित किया गया: राज्य द्वारा नियमावली 1963 की धारा 68 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक तर्कसंगत निर्णय लिया गया था जो नियम की आवश्यकता को पूरा करता है - इसके अलावा, उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक जनहित याचिका में एक आदेश भी पारित किया था जिसमें राज्य द्वारा नियमावली, 1963 की धारा 68 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति दी गई थी और इसकी आवश्यकता थी - ऐसा राज्य द्वारा सामना की जा रही विशेष स्थिति के कारण किया गया था क्योंकि खनन गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था जिससे सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी निर्माण और अन्य विकास कार्य रुक गए थे और उनमें देरी हो रही थी - जब महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही थीं तब ऐसी शक्ति का प्रयोग नियम 68 के दायरे में आएगा जो राज्य को ऐसी नीति बनाने का अधिकार देता है - इसलिए, राज्य द्वारा अपनाई गई पूरी प्रक्रिया और कार्यप्रणाली में कोई गलती

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

नहीं है। [अनुच्छेद 15]

अधिनियमों की सूची

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957; उत्तर प्रदेश लघु खनिज (रियायत) नियमावली, 1963; जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली, 2017।

कीवर्ड की सूची

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9बी; खान एवं खनिज अधिनियम ,1957 की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित रॉयल्टी के अनुसार धनराशि जमा करना ; उत्तर प्रदेश लघु खनिज (रियायत) नियमावली, 1963 का नियम 68; जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली, 2017; डिमाण्ड नोटिस; कुल बोली राशि का 10%; जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ); लघु खनिजों का खनन; नीतिगत निर्णय दिनांकित 22.04.2017।

वाद उद्भूत

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 12314 सन् 2024

सीएमडब्ल्यूपी सं. 54052 सन् 2017 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 15.11.2017 के निर्णय एवं आदेश से

सह

सिविल अपील सं. 12315 और 12316 सन् 2024

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता : मनीष सिंघवी, राकेश द्विवेदी, मुकेश प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता, सतीश कुमार, सुश्री मेघा कर्णवाल, ललित राजपूत, आदित्य थोराट, सुश्री अवंतिका मनोहर, सुश्री मयन प्रसाद, सुश्री पारुल धुर्वे (मैसर्स एपी एंड जे चैंबर्स के लिए)।

प्रत्यर्थीगण की ओर से अधिवक्ता : सुश्री ऐश्वर्या भाटी, ए.एस.जी., विष्णु शंकर जैन, सुश्री मणि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

मुंजाल, सुश्री मार्वियांग खोंगविर।

हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता: वंशदीप डालमिया, अमित उपाध्याय, सुश्री अनीशा जैन,
सुश्री शाम्भवी सिंह

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्यायमूर्ति ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह

1. अपीलों का वर्तमान समूह जिला मजिस्ट्रेट/जिला अधिकारी द्वारा अपीलकर्ताओं को जारी किए गए संबंधित डिमांड नोटिस को चुनौती देता है, जिसमें कुल बोली राशि का 10% संबंधित जिला खनिज फाउंडेशन (एतस्मिनपश्चात, "डीएमएफ") के पास जमा करने की मांग की गई है।
2. चूंकि इन सभी अपीलों में शामिल मुद्दा एक ही है, इसलिए तथ्यों को सिविल अपील सं. 12314 सन् 2024 से लिया जा रहा है, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 15.11.2017 के निर्णय (एतस्मिनपश्चात, "आक्षेपित निर्णय") को चुनौती देता है और इसे मुख्य मामले के रूप में लिया गया है।
3. उक्त सिविल अपील से प्राप्त तथ्य यह हैं कि चंद्रभान सिंह, जो लघु खनिजों अर्थात् बालू के खनन के लिए सफल बोलीदाता (एतस्मिनपश्चात "अपीलकर्ता") थे, को एक निविदा आवंटित की गई थी। इस निविदा के अनुसरण में और दिनांक 22.04.2017 के नीतिगत निर्णय द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप, अपीलकर्ता को दिनांक 25.10.2017 के डिमांड नोटिस के माध्यम से जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट, कानपुर (एतस्मिनपश्चात "डीएमएफ ट्रस्ट") के पक्ष में जमा की गई स्वामित्व राशि ₹5,41,29,600/- का 10% यानी ₹54,12,960/- की राशि जमा करने के लिए कहा गया था, साथ ही उस पर 2% स्टाम्प शुल्क भी देना होगा। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि आवंटन की शर्तों और खनन परमिट दिनांकित 16.10.2017 के अनुसार, अपीलकर्ता ने आवश्यकतानुसार, अपनी बोली के अनुसार रेत के प्रति घन मीटर ₹630/- की दर से अनुमोदित खनन मात्रा के लिए देय राशि जमा की थी, जो कुल ₹5,41,29,600/- थी।
4. दिनांक 25.10.2017 के इस डिमांड नोटिस को अपीलकर्ता ने एक रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसमें दावा किया गया था कि दावा की गई राशि खान एवं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एतस्मिनपश्चात्, "अधिनियम ,1957") की धारा 9 बी के प्रावधानों के विपरीत होगी, जिसके अनुसार अधिनियम ,1957 की दूसरी अनुसूची में निर्धारित रॉयल्टी के अनुसार राशि जमा करना आवश्यक था। उच्च न्यायालय में उक्त चुनौती दिनांक 15.11.2017 के आक्षेपित निर्णय के कारण विफल हो गई, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान अपील दायर की गई।

5. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि दिनांक 22.04.2017 का नीतिगत निर्णय स्वयं में पोषणीय नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश उपखनिज (रियायत) नियमावली, 1963 (एतस्मिनपश्चात् "नियमावली,1963") के नियम 68 में वर्णित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। उक्त नियम का संदर्भ देते हुए, यह तर्क दिया गया है कि यह नियमों में ढील देता है, जबकि वास्तव में उक्त नीति के तहत दावा की गई राशि , नियमावली, 1963 के साथ संलग्न प्रथम अनुसूची में निर्धारित राशि से कहीं अधिक है। इसलिए , उनका तर्क है कि नीति और डिमाण्ड नोटिस दोनों ही पोषणीय नहीं हैं।

6. अधिनियम, 1957 की धारा 9 बी का हवाला देते हुए, यह तर्क दिया गया है कि डीएमएफ , जैसा कि तैयार और संकल्पित किया गया है, अधिनियम,1957 की दूसरी अनुसूची के अनुसार भुगतान की गई रॉयल्टी के ऐसे प्रतिशत के बराबर रॉयल्टी की अतिरिक्त राशि वसूलने और जमा करने का प्रावधान करता है जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी रॉयल्टी के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी। उन्होंने कहा कि उक्त अनुसूची के अनुसार , जब राज्य द्वारा रॉयल्टी की 10% दर तय की गई है, तो देय राशि उस सीमा तक सीमित होगी और समग्र रूप से बोली राशि पर मांग अपोषणीय है। इसके अलावा, अधिनियम, 1957 की धारा 15 का भी संदर्भ दिया गया है , जो राज्य सरकार को लघु खनिजों के संबंध में नियम बनाने की शक्तियाँ प्रदान करती है। उन्होंने इसकी उप-धारा (4) के आधार पर दावा किया है कि धारा 9 बी सभी उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए लागू होगी, न कि केवल डीएमएफ के गठन, संरचना और कार्यप्रणाली के लिए , जिसमें उसके पास जमा की जाने वाली रॉयल्टी के अतिरिक्त राशि भी शामिल है। राज्य ऐसी राशि का दावा नहीं कर सकता जो केंद्रीय अधिनियम द्वारा निर्धारित दर के विपरीत हो।

7. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने नियम 54 का संदर्भ दिया है, जो परमिट के अंतर्गत निकाले जाने वाले खनिज की कुल मात्रा के लिए रॉयल्टी जमा करने से संबंधित है। यह भी तर्क

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

दिया गया है कि नियमावली ,1963 के नियम 21 के अंतर्गत , रॉयल्टी का भुगतान नियमावली,1963 की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट दरों पर किया जाना था। इस आधार पर अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालकर गलती की है कि नियम 21 और नियम 54 लागू नहीं होंगे। उपरोक्त आधारों पर , आक्षेपित निर्णय को रद्द करने और अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

8. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान अपर सॉलिसिटर जनरल ने यह कहते हुए आक्षेपित निर्णय का बचाव किया है कि अधिनियम ,1957 की धारा 9 और 9बी के प्रावधान उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रकाश में इस मामले पर लागू नहीं होंगे , जिसमें प्रावधान है कि धारा 5 से 13 लघु खनिजों पर लागू नहीं होंगे। इस आधार पर उन्होंने दलील दी है कि अपीलकर्ता द्वारा धारा 9बी का सहारा लेना गलत है। इसके अलावा , अधिनियम,1957 की धारा 15 के संदर्भ में यह दावा किया गया है कि राज्य सरकार , आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, लघु खनिजों के संबंध में खदान पट्टों, खनन पट्टों या अन्य खनिज रियायतों के अनुदान को विनियमित करने और उससे जुड़े उद्देश्यों के लिए नियम बनाने के लिए सक्षम है। धारा 15 की उप-धारा (4) के अंतर्गत, सरकार उप-धारा (1), (2) और (3) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अधिसूचना द्वारा अधिनियम के प्रावधानों को विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है , जिसमें धारा 9बी की उप-धारा (2) के अनुसार डीएमएफ ट्रस्ट द्वारा व्यक्तियों और प्रभावित क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए कार्य करने का तरीका शामिल है। इसी प्रकार , डीएमएफ ट्रस्ट की संरचना और कार्यों के लिए , धारा 9बी की उप-धारा (3) का संदर्भ दिया गया है। इस आधार पर, उनका दावा है कि धारा 9बी की प्रयोज्यता धारा 15 में निर्दिष्ट उद्देश्यों तक ही सीमित है और उससे आगे कुछ भी नहीं। इसे, किसी भी स्थिति में, राज्य सरकार द्वारा बनाई जाने वाली नियमावली के आधार पर विनियमित किया जाना है। धारा 15 की उप-धारा (4) के खंड (ग) का भी संदर्भ दिया गया है, जो राज्य सरकार को धारा 15 ए के अनुसार लघु खनिजों के खनन रियायत धारकों द्वारा डीएमएफ ट्रस्ट को किए जाने वाले भुगतान की राशि निर्धारित और विनियमित करने का अधिकार देता है। यह धारा राज्य सरकार को डीएमएफ ट्रस्ट को किए जाने वाले भुगतान की राशि निर्धारित करने का अधिकार देती है। इस आधार पर, यह तर्क दिया गया है कि राज्य द्वारा डीएमएफ ट्रस्ट में जमा की जाने वाली राशि को 10% की दर पर निर्धारित करने में कोई त्रुटि नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

9. राज्य सरकार द्वारा बनाए गए जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली , 2017 (एतस्मिनपश्चात्, "नियमावली,2017") के नियम 10 के उप-नियम (2) का भी संदर्भ दिया गया है, जहाँ रॉयल्टी के अलावा प्रत्येक परमिट धारक को डीएमएफ ट्रस्ट के पास रॉयल्टी के 10% के बराबर या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली राशि जमा करनी होती है। इस आधार पर, उनके द्वारा यह दावा किया गया है कि यदि राज्य सरकार द्वारा कोई अन्य राशि निर्धारित नहीं की जाती है , तो रॉयल्टी राशि का 10% देय होगा। ऐसी स्थिति में जहाँ रॉयल्टी के 10% के अलावा राशि या दर निर्धारित की गई है , उक्त राशि या दर मान्य होगी। वर्तमान मामले में, जो तय और निर्धारित किया गया है वह बोली लगाने वाले द्वारा जमा की गई कुल राशि का 10% है।

10. दिनांक 22.04.2017 के नीतिगत निर्णय को चुनौती देने के संबंध में , विद्वान अपर सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया है कि उक्त नीति को उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई थी, इसलिए अब इसे इस न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके अलावा , इसी नीति के तहत, जिस पर अब प्रश्न उठाया जा रहा है , ई-निविदा जारी की गई थी जिसमें अपीलकर्ता ने भाग लिया था और सफल रहा था। इसलिए , अपीलकर्ता को उसी नीति को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिसके तहत उसने भाग लिया था और जिसके तहत उसने लाभ प्राप्त भी किया था। नियम और शर्तें शुरू से ही स्पष्ट थीं , और उनमें कोई अस्पष्टता नहीं थी। उपर्युक्त आधार पर, अपीलों को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

11. हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया है तथा उनकी सहायता से दलीलों और अभिलेखों का अध्ययन किया है।

12. संक्षिप्तता के लिए, तथ्यों को दोहराया नहीं जा रहा है, क्योंकि वे विवादित नहीं हैं।

13. मोटे तौर पर, डिमांड नोटिस के विरुद्ध वर्तमान अपील में चुनौती प्रत्यर्थी-राज्य द्वारा जारी दिनांक 22.04.2017 के नीतिगत निर्णय पर आधारित है, जिसके तहत ई-टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता ने उसमें भाग लिया और सफल रहा , जिसके बाद टेंडर का आवंटन और खनन परमिट जारी किया गया। इसमें जो आधार दिया गया है , वह नियमावली, 1963 के नियम 68 के तहत अपेक्षित प्रक्रिया का पालन न करने/उल्लंघन करने का है, जिसके तहत राज्य सरकार नियमावली, 1963 में ढील देते हुए खनन पट्टे प्रदान करने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

में सक्षम थी।

14. इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24.09.2024 को पारित आदेश के अनुसरण में, नियमावली, 1963 के नियम 68 के संदर्भ में दिनांक 22.04.2017 को संचार जारी करने के परिणामस्वरूप निर्णय को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया से संबंधित मूल अभिलेख दिनांक 15.10.2024 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिनका अवलोकन किया गया और मूल फाइल की एक प्रति रिकॉर्ड में रखी गई।

15. प्रस्तुत अभिलेखों पर विचार करते हुए, हमने उस प्रक्रिया का अवलोकन किया है जिसका पालन विचार-विमर्श और मूल्यांकन करते समय किया गया, और निष्कर्ष पर पहुँचने के कारणों को स्पष्ट करते हुए, किया गया। सर्वोच्च सक्षम प्राधिकारी तक विभिन्न स्तरों पर समुचित विचार-विमर्श के बाद, दिनांक 22.04.2017 के पत्र में इन्हीं निष्कर्षों को प्रतिबिम्बित, प्रक्षेपित और उल्लिखित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य द्वारा नियमावली, 1963 के नियम 68 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का एक तर्कसंगत निर्णय लिया गया, जो नियमावली की आवश्यकताओं को पूरा करता पाया गया। यहाँ यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक जनहित याचिका पर दिनांक 18.04.2017 का एक आदेश पारित किया था, जिसमें राज्य द्वारा नियमावली, 1963 के नियम 68 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति दी गई थी और उसे आवश्यक बनाया गया था। ऐसा राज्य द्वारा सामना की जा रही विशिष्ट स्थिति के कारण किया गया था, क्योंकि खनन गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके कारण सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में निर्माण और अन्य विकास कार्य रुक गए थे और उनमें देरी हो रही थी। ऐसी परिस्थितियों में ऐसी शक्ति का प्रयोग करना, जब महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही हों, नियम 68 के दायरे में आएगा, जो राज्य को ऐसी नीति बनाने के लिए आगे बढ़ने का अधिकार देता है और इसलिए, हम राज्य द्वारा अपनाई गई पूरी प्रक्रिया और कार्यप्रणाली में कोई दोष नहीं पाते हैं।

16. इस प्रकार, चुनौती डीएमएफ ट्रस्ट में अपीलकर्ता की ओर से जमा की जाने वाली आवश्यक राशि की सीमा तक सीमित है। अपीलकर्ता का दावा है कि देय राशि रॉयल्टी की राशि का 10% होगी जैसा कि धारा 9 बी(5) के संदर्भ में अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में या उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा बनाए गए नियमावली, 2017 के नियम 10 के उप-नियम (2) के तहत निर्धारित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

किया गया है। इस आधार पर, यह दावा किया जा रहा है कि ऊपर उल्लिखित अनुसूची के तहत प्रदान की गई रॉयल्टी राशि के 10% से अधिक कुछ भी डीएमएफ ट्रस्ट में जमा करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। अपीलकर्ता को स्वामित्व राशि की 10% राशि जमा करने की अपेक्षा करने वाला डिमांड नोटिस दिनांकित 25.10.2017 अपीलकर्ता की देयता से बहुत अधिक होगा। मांग उस सीमा से अधिक नहीं हो सकती जो कानून या नियमावली के तहत निर्धारित है।

17. अपीलकर्ता का यह तर्क प्रथमतः इस आधार पर पोषणीय नहीं है कि अधिनियम, 1957 की धारा 9 बी उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रकाश में लागू नहीं होगी, जो इस प्रकार है:-

“14. धारा 5 से 13 का लघु खनिजों पर लागू न होना - धारा 5 से 13 तक के प्रावधान लघु खनिजों के संबंध में खदान पट्टों, खनन पट्टों या अन्य खनिज रियायतों पर लागू नहीं होंगे।”

18. धारा 14 के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिनियम, 1957 की धाराएँ 5 से 13 वर्तमान मामले में लागू नहीं होंगी क्योंकि जिस खनिज का खनन किया जाना है वह एक गौण खनिज अर्थात् रेत है। अतः धारा 9 बी(5) पर आधारित अपीलकर्ता की दलील गलत है और इसलिए अस्वीकार्य है।

19. धारा 9 बी (2) और (3) की प्रयोज्यता और प्रभाव उस सीमा तक सीमित है जैसा कि अधिनियम, 1957 की धारा 15 की उपधारा (4) के खंड (ए) और (बी) में उल्लिखित है, जो इस प्रकार है:-

“15. राज्य सरकार की गौण खनिजों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति -

(4) उपधारा (1), (2) और उपधारा (3) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों को विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है, अर्थात्

(क) धारा 9 बी की उपधारा (2) के तहत जिला खनिज फाउंडेशन खनन से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए किस तरह काम करेगा

(ख) धारा 9 बी की उपधारा (3) के तहत जिला खनिज फाउंडेशन की संरचना और कार्य; और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(ग) धारा 15 ए के तहत लघु खनिजों के रियायत धारकों द्वारा जिला खनिज फाउंडेशन को किए जाने वाले भुगतान की राशि।"

20. उपरोक्त के अवलोकन से ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि खंड (क) और (ख) उसी क्षेत्राधिकार में कार्य करेंगे जिसके लिए उन्हें शामिल किया गया है और कार्य करने की अनुमति दी गई है। उक्त उप-खंड डीएमएफ में ली जाने वाली या जमा की जाने वाली राशि से संबंधित नहीं हैं। इस पहलू पर धारा 15 की उप-धारा (4) के खंड (ग) के अंतर्गत विचार किया गया है और प्रावधान किया गया है, जो धारा 15 ए के अंतर्गत डीएमएफ में रियायत धारक द्वारा किए जाने वाले भुगतान की राशि का उल्लेख करता है। इसका अर्थ यह है कि राज्य सरकार को धारा 15 ए के अंतर्गत राशि निर्धारित करने और तय करने का अधिकार दिया गया है। धारा 15 ए इस प्रकार है:-

"15 ए. लघु खनिजों के मामले में जिला खनिज फाउंडेशन के लिए निधियां एकत्रित करने की राज्य सरकार की शक्ति- राज्य सरकार लघु खनिजों से संबंधित रियायतों के सभी धारकों द्वारा उस जिले के जिला खनिज फाउंडेशन को राशि का भुगतान निर्धारित कर सकती है जिसमें खनन कार्य किया जाता है।"

21. उपखनिजों के लिए मात्रा निर्धारित करने और उसके निर्धारण हेतु राज्य को संविधि के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार में कोई त्रुटि नहीं है। इस प्रकार, आक्षेपित डिमाण्ड नोटिस, संविधि के प्रावधानों के अनुरूप होने के कारण, अवैध या असंभारणीय नहीं कही जा सकती।

22. नियमावली, 2017 के नियम 10 के उप-नियम (2) का संदर्भ भी अपीलकर्ता के बचाव में नहीं आएगा। यह इस प्रकार है:-

"10. ट्रस्ट फंड में योगदान

....

(2) लघु खनिजों के मामले में

प्रत्येक खनिज रियायत/परमिट धारक को रॉयल्टी के अतिरिक्त, उस जिले के ट्रस्ट को, जिसमें खनन कार्य किया जाता है, रॉयल्टी के 10% के बराबर राशि या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित राशि का भुगतान करना होगा।"

23. उपरोक्त नियम 10(2) के अवलोकन से पता चलता है कि रॉयल्टी के अतिरिक्त, राज्य

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

सरकार द्वारा निर्धारित राशि के अभाव में, रॉयल्टी का 10% राशि जिले के डीएमएफ ट्रस्ट को देय है। हालाँकि, यदि राज्य सरकार द्वारा कोई राशि निर्धारित की जाती है, तो उक्त दर या राशि मान्य होगी और खनिज रियायत या परमिट धारक की ओर से देय होगी।

24. वर्तमान मामले में, दिनांक 11.05.2017 के निविदा नोटिस, दिनांक 01.06.2017 के अनुमोदन पत्र (आशय पत्र) और दिनांक 16.10.2017 के खनन परमिट में अपीलकर्ता द्वारा जमा की जाने वाली अपेक्षित राशि के संबंध में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था। अपीलकर्ता को जारी दिनांक 25.10.2017 के डिमाण्ड नोटिस में, उसे निकाले जाने वाले लघु खनिजों के लिए देय कुल राशि अर्थात् स्वामित्व राशि का 10% जमा करने की आवश्यकता बताई गई थी, जो वैधानिक नियमों अर्थात् नियमावली, 2017 के नियम 10(2) के अधीन और उसके अनुसार था।

25. जहाँ तक नियमावली, 1963 के नियम 21 और 54 की प्रयोज्यता का प्रश्न है, जिन्हें अपीलकर्ता ने अपने दावे के समर्थन में लागू करने का प्रयास किया है, नियमावली, 1963 के नियम 23(3) के आलोक में ये कोई मायने नहीं रखते। त्वरित संदर्भ के लिए नियम 23(3) नीचे पुनः प्रस्तुत है:-

“23. नीलामी/निविदा/नीलामी सह-निविदा पट्टे के लिए क्षेत्र की घोषणा

.....

(3) उपनियम (1) के अधीन क्षेत्र या क्षेत्रों की घोषणा किए जाने पर, इस नियमावली के अध्याय 2, 3 और 6 के उपबंध उस क्षेत्र या क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे जिनके संबंध में घोषणा जारी की गई है। ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों को इस अध्याय में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार पट्टे पर दिया जा सकता है।”

उपरोक्त के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ई-निविदा प्रक्रिया के मामले में, इस नियमावली के अध्याय II, III और VI लागू नहीं होंगे। नियम 21 अध्याय III में आता है जबकि नियम 54 अध्याय VI में आता है, इसलिए, ये नियम प्रभावी नहीं होंगे, बल्कि उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। इसलिए, यह तर्क भी विफल हो जाता है।

26. उपरोक्त के मद्देनजर, हमें अपील में कोई मेरिट नहीं दिखती और इसलिए इसे खारिज किया जाता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित दिनांक 15.11.2017 के आक्षेपित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

निर्णय और दिनांक 25.10.2017 के डिमांड नोटिस को बरकरार रखा जाता है, जिसमें डीएमएफ ट्रस्ट के प्रति अपीलकर्ता की देयता का संकेत दिया गया है।

27. सिविल अपील सं. 12314 सन् 2024 के निर्णय के आलोक में, अन्य दो संबद्ध अपीलें, सिविल अपील सं. 12315-16 सन् 2024 भी खारिज की जाती हैं।

28. कॉस्ट के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

29. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित किए जाते हैं।

वाद का परिणाम: अपील खारिज।

हेडनोट्स द्वारा : दिव्या पांडे

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।